अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

48/2020/प्रार्थना पत्र कन्टे. प्रा.पत्र

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर कमलेश कुमार बनाम ओम प्रकाश अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित हुए। श्री अजीत लोढ़ा, गिरीश पारीक श्री शिव प्रकाश चौधरी –1	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
12.12.22	कमलेश बनाम ओमप्रकाश प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 05.12.2022 को सुना जाकर आदेश हेतु रिजर्व रखी गयी। प्रार्थना पत्र पर आदेश सुनाना जाना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया किया कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आक्षेपित आदेश दिनांक 06.04.2018 के वि मान्नीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान में जैरकार है। जिसका उनवान कमलेश कुमार बनाम ओम प्रकाश, अपील संख्या 143/2019 दर्ज है जिसमें निरन्तरता में बढ़ाये जा रहे स्थगन आदेश बढ़ाया जा रहा है एवं प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.12.2019 में नियत है। उक्त प्रकरण में मान्नीय न्यालय द्वारा बहस सुनकर प्रकरण में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किए गए थे एवं आगामी पेशी दिनांक 19.07.2019 नियत की गई थी। मान्नीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2019 की खुली अवहेलना करते हुए विधि विपरीत कृत्य किया गया है, इस कारण से उनके विरूद्ध ठोस व विधिक आधारो पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। दिनांक 16.05.2019 की खुली अवहेलना विपक्षीगण द्वारा की गई है। इस कारण से उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाना न्यायहित में अति आवश्यक है ताकि पक्षकार व अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी अपने पद के मद में भविष्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना नहीं करें। अप्रार्थी द्वारा किए गए कृत्य से समाज में न्यायालय की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपनी संवैधानिक व राजकार्य के कर्मचारी की हैसियत को न्यायालय की गरीमा से ऊपर बताने का कृत्य किया है, इस कारण से उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्णरूप से जानकारी थी परंतु फिर भी वह केवल मात्र न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने हेतु अविधिक कृत्य किया गया है, जिस हेतु वह न्यायालय के आदेश के अवज्ञा दोषी है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सूचना विपक्षीगण को जरिए दस्ती व रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गई, जो उन पर भुगता दी गई जिसके समर्थन में दस्तावेजात प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है, परंतु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से साझ कर बावजूद न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 के बावजूद विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण को तस्दीक कर दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की विपक्षीगण को जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा केवल मात्र न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का कृत्य किया गया है, जिस हेतु विपक्षीगण अपनी व्यक्तिगत व ऑफिशियल केपेसिटी में न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने के दोषी है। प्रार्थी अपने कथनों के समर्थन में संबंधित दस्तावेजात की प्रतिलिपि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा है,	

जो कि इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज है, जिससे यह सिद्ध होता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए कृत्य किया है। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 की विलफुल डिसओविडीएन्स की गई है, जिस हेतु वह न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के दोषी है। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 सब्सस्टेन्शियली इन्टरफेयर करता है, एवं उक्त कृत्य की टेन्डेन्सी ड्यू कोर्स ऑफ जस्टीस में इन्टरफेयर करती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तथ्य, एड, अमेन्ड, आल्टर, डिलीट करने का अपना विधिक अधीकार सुरक्षित रखता है। अतः प्रार्थना अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 की जानकारी के बावजूद आदेश की अवहेलना करने के कारण विधि अनुरूप आदेश व कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट/अप्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2019 की जानकारी नहीं थी व रेस्पोडेंट के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना की जाकर विवादित भूमि पर कब्जा किया गया हो अथवा राजस्व रिकार्ड में कोई फेरबदल किया गया हो अथवा जबरदस्ती रास्ते कायम नहीं किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा किए गए कथन किसी भी प्रकार से संतोषप्रद व सत्यता के विपरीत प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा0दी0 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थिया का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 143/2019 बउनवान कमलेश कुमार बनाम ओम प्रकाश वगैरह में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.04.2019 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2147 रकबा 00–15–00 बीघा मौजा सथाना तहसील विजयनगर की आगामी पेशी दिनांक 27.05.2019 तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया गया था। अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश के अवज्ञा के दोषी है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सूचना विपक्षीगण को जरिए दस्ती व रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गई, जो उन पर भुगता दी गई जिसके समर्थन में दस्तावेजात प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है, परंतु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से साझ कर बावजूद न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 के बावजूद विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण को तस्दीक कर दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की विपक्षीगण को जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा केवल मात्र न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का कृत्य किया गया है। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2019 की पालना हेतु अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये है तथा ना ही तहरीर दस्ती उनको दी हो। प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2019 की जानकारी अप्रार्थीगण को उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर